संख्या–2877 / XVIII(II) / 2010–18(117)2010

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 3 ~~दिसम्बर,~~ जनवरी 2010 20

विषयः– ग्राम श्रीकोट, पट्टी नान्दलस्यूँ, तहसील एवं जिला पौढ़ी गढ़वाल में, नर्सिंग कालेज के भवन निर्माण हेतु, 64 नाली भूमि, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–487 / 8–एल0ए0सी0 / 2010–11, दि0–29.11. 2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम श्रीकोट, पट्टी नान्दलस्यूँ, तहसील एवं जिला पौढ़ी गढ़वाल में, नर्सिंग कालेज के भवन निर्माण हेतु, 64 नाली भूमि,, जो श्रेणी 5 (3) (ड) में है एवं राजस्व अभिलेखों में कृषिं बंजर दर्ज है, को चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति / अनापत्ति एवं वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260 / वित्त अनुभाग–3 / 2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अन्तर्गत, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन निशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यो के लिए नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रस्तावित भूमि पर स्थित पेड़ो के पातन के संबंध में, यथावश्यक नियमानुसार संबंधित विभाग से सहमति/अनापत्ति प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

9– प्रस्तावित भूमि पर, जलागम विभाग के भवनों के उपयोग के संबंध में नियमानुसार संबंधित विभाग से सहमति/अनापत्ति प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

पृ0प0संख्या–2877/समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, कृषि एवं जलागम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
7– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।